न्यायालय तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी–श्री गिर्राज प्रसाद बंसल तहसीलदार बयाना)

प्र0स0 63/19 ता0 रजु. 18-09-19 किस्म मुकदमा 91 एलआर एक्ट निर्णय दिनांक 24-09-19

सरकार

बनाम

रनवीर पुत्र देवीसिंह जाति जाट नि० खेड़ली गाडासिया।

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का खेड़ली गाडासिया ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि ग्राम खेड़ली गाडासिया के खसरा न0 1721 रकवा 3.03 हैक्ट में से रकवा 0.20 हैक्ट किस्म भूमि चारागाह पर सम्वत 2076 में श्री रनवीर पुत्र देवीसिंह जाति जाट नि० खेड़ली गाडासिया तह0 बयाना ने खरी के फसल अतिक्रमण कर लिया है।

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। जो शामिल मिसिल है। अप्रार्थी न्यायालय हाजा में उपस्थित /अनुपस्थित हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अप्रार्थी के विरूद्ध न्यायिक कार्यवाही अमल में लायी जाना आवश्यक है। अतिकमी द्वारा राजकीय चारागाह भूमि पर विधि विरूद्ध अतिकमण किया जाना साबित होता है अतः अतिकमी को अतिकमित आराजी से बेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिकमी के विरूद्ध न्यायिक कार्यवाही कर अतिकमित खसरा नम्बर 1721 रकवा 0.20 हैक्ट वाके ग्राम खेड़ली गाडासिया से बेदखल किया जाता है। लगान 3.20 का 50 गुणा पैनल्टी राशि 160/– रूपये से दण्डित किया जाता है। पैनल्टी की मांग कायमी टी0आर0ए0 हाजा से कराई जावे। पैनल्टी वसूली खडी फसल को कब्जेराज लेकर फर्द नीलामी/अवैध कब्जा/ बेदखली बाबत् हल्का पटवारी/गिरदावर को आदेश जारी हों।

पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 24-9-19 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
बयाना (भरतपुर)

इस पत्रावली की मांग सामग्री
रा. ले. सं. 04 के पेज नं. 11
दिनांक 11/10/19 को वर्ष 2019-20 में
पैनल्टी रु. 160 फसल नीलामी
रु. .... की जा चुकी है।

सहायक राजस्व लेखाकार
तहसील बयाना